अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

जगसीर सिंह **बनाम** मेजर सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी, प्रकरण संख्या 56 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/303

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.08.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अर्ज किया कि प्रकरण के निर्णय मय डिक्री दिनांक 24.04.2025 में सहवन से क्रम संख्या 1 मेजर सिंह पुत्र कृपाल सिंह के हिस्सा में चक 6 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 20/1 की 0.029 हैक्टेयर भूमि अंकित हो गई है। अतः माननीय न्यायालय के निर्णय मय डिक्री दिनांक 24.04.2025 को दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित किये जावे। प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 2165 दिनांक 13.08.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 6 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 20/1 की 0.114 हैक्टेयर भूमि पर कुलविन्द्र कौर, गुरविन्द्र कौर, जगसीर सिंह, हरबंस, बचन सिंह का कब्जा काश्त है। हमने बहस विद्वान अधिवक्ता की विस्तारपूर्वक सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय मय डिक्री दिनांक 24.04.2025 को दुरूस्त किए जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर तथा उसके साथ प्रस्तुत प्रकरण संख्या 253/2024 मेजर सिंह बनाम अवतार सिंह आदि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 आरटीए के निर्णय तथा डिक्री का अध्ययन और अवलोकन किया। धारा 152 सीपीसी "निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों का संशोधन–निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में की लेखन या गणित संबधी भूले या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलतियां न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्व की जा सकेगी" प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी में प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष लेखन में भूल होने से हुआ है। अतः हम निर्णय मय डिक्री दिनांक 24.04.2025 में क्रम संख्या 1 मेजर सिंह पुत्र कृपाल सिंह के हिस्सा में चक 6 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 20/1 की 0.029 हैक्टेयर भूमि को हटाया जाकर चक 6 एफ ए के खाता संख्या 132/94 के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 20/4 की 0.029 हैक्टेयर भूमि की नामान्तरण संख्या 858 दिनांक 13.05.2025 से पूर्व की स्थिति बहाल किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस निर्णय के शेष अंकन बदस्तुर रहेगे। प्रार्थना पत्र सामिल पत्रावली रहे। आदेश सुनाया गया। संशोधित पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
सत्यमेव जयते